

फर्द अहकाम
(नियम 26)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कोलायत
पीठासीन अधिकारी- रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र- अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट मु. नं.07 सन् 2018
हुकम की कार्यवाही मय इनिशियलस जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील में
जारी हुए

02.01.2019

यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत तहसीलदार राजस्व कोलायत से प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे।


प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि सैग्रीगेशन को दृष्टिगत रखते हुए पटवारी हल्का चानी ने खाता दुरुस्ती बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2068-2072, 2073-2076 की प्रति। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

भू-अभिलेख निरीक्षक कोलायत की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कोलायत की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम चानी तहसील कोलायत व जिला बीकानेर की जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में खाता संख्या 332 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	चानी	332	लक्ष्मीदेवी पत्नि ठाकरराम जाति जाट सा. अकासर हि. 2.548 है., सुमेरसिंह हि. 2.548, देवीसिंह हि. 2.548 है., मघसिंह 2.548 है., पुनमसिंह हि. 2.548 है., बिशनसिंह 2.548 है. पुत्र रूपसिंह, सुमन पुत्री गंगा पत्नी लूणसिंह 5.63 है. ख.न. 253 में राधाकिशन शिवजीराम 6.76 है., रूघाराम पुत्र गणेशाराम 4.00 है., रामरख पुत्र गणेशाराम 2.76 है. जाति जाट सा. अकासर खातेदार बाकी मांदा बदस्तूर जमाबन्दी	ख.न. 508 में लक्ष्मीदेवी पत्नि ठाकरराम जाति जाट सा. अकासर हि. 2.55 है, सुमेरसिंह हि. 2.55, देवीसिंह हि. 2.55 है., मघसिंह 2.55 है., पुनमसिंह हि. 2.55 है., बिशनसिंह 2.55 है. पुत्र रूपसिंह, सुमन पुत्री गंगा पत्नी लूणसिंह हि. 5.64 है. जाति राजपूत निवासी चानी व ख.न. 253 में राधाकिशन पुत्र शिवजीराम 6.76 है., रूघाराम पुत्र गणेशाराम 4.00 है., रामरख पुत्र गणेशाराम 2.76 है. जाति जाट सा. अकासर खातेदार बाकी मांदा बदस्तूर जमाबन्दी

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व कोलायत को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, कोलायत